Government of Rajasthan
Forest Department

No.F.11(12)Forest/98 Jaipur,Dated: 31 MAR 1998

To

Chief Wildlife Warden,
Raj., Jaipur.

Sub:- Permission to authorise Dy. Conservat of Forests for issuing permit to kill wild Bore.

Ref:- Your letter no F.3(465)TEC/CWLW/97/ 2502, dated 23.2.98.

Sir,

In reference to your letter ,on the subject cited above, I am directed to convey the approval of the State Government under section 5(2) of Wildlife (Protection) Act, 1972 for delegating the power to Dy. Conservator of Forests of Kota, Bundi, Baran, Sawaimadhopur, Karauli, Pali, Sirohi, Udaipur, Chittorgarh, Jhalawar, Alwar, Jaipu Dungarpur, Jalore, Bikaner and Sriganganagar districts(16) of issuing permission to any person to hunt such wild Bores who has become dangerous to property including standing crops or any land subject to conditions mentioned in your above referred letter. This delegation may be issued by you after being satisfied that there will be no misuse of such delegation . A copy of such delegation may please be endorsed to this Department.

Yours faithfully,

(Sankatha Prasad)
Officer on Special Duty

Copy to P.C.C.F., Raj., Jaipur for information & necessary action.

Officer on Special Duty

परिपत्र भाग बी संख्या 4

राजस्थान सरकार
वन विभाग
--0--

क्रमांक:- प0 11(12)वन/98 जयपुर, दिनांक 31 AUG 1998

मुख्य वन संरक्षक एवं,
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राज0 जयपुर

विषय:- जंगली सुअरों को मारने की अनुमति हेतु उप वन संरक्षकों को प्राधिकृत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- इस विभाग का पत्र दिनांक 31/मार्च98

--0--

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र क्रमांक एफ 3(465)तक/मुवजीप्र/97/9881 दिनांक 31/7/98 के संदर्भ में निर्देशानुसार इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 31/मार्च 98 के क्रम में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा-5-(बी)एवं 11(1)(बी) के अन्तर्गत किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली जंगली सुअरों को नष्ट करने/मारने के लिये संबंधित क्षेत्राधिकार वाले जिलों के अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान सीमा से 15 किमी0 तक की परिधि में स्वीकृति जारी करने हेतु सम्बन्धित उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक क्षेत्र निदेशक/उप निदेशक तथा उप वन संरक्षक (वन्य जीव) को प्राधिकृत किये जाने की राज्य सरकार की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(एस0प्रसाद)
विशेषाधिकारी, वन

// कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज०, जयपुर //

क्रमांक/एफ3(465)तक./मुवजीप्र/97/ 3319 दिनांकः 1/8/98

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्र संख्या प. 11(12)वन/98 दिनांक 31.3.98 द्वारा दी गयी स्वीकृती के क्रम मे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 5(2) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद्द्वारा, उप वन संरक्षक, कोटा, बुन्दी, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तोडगढ़, झालावाड़, अलवर, जयपुर, डूँगरपुर, जालौर, बीकानेर तथा श्रीगंगानगर को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र मे वन्य जीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यानों से 15 किल्मी० की परिधी के बाहर जंगली सुअरो को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के नियम 11(1)(बी) के अन्तर्गत मारने की अनुमति प्रदान करने के लिये प्राधिकृत करते हैं।

उपरोक्त अनुमति केवल उन सुअरो को मारने के लिये दी जा सकती है जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुँचाता है। इस प्रकार की अनुमति पूर्णरूप से जाँच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात् लिखित मे कारण निर्दिष्ट करते हुये ही दी जायेगी। इस प्रकार दी जाने वाली स्वीकृती की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं सम्बन्धित वन संरक्षक, (वन्य जीव) को भी दी जायेगी।

(आर०जी०सोनी)
मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/एफ3(465)तक./मुवजीप्र/97/ 3320-3377 दिनांक: 1/8/98

1- प्रतिलिपि विशिष्ट सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र संख्या प.11(12)वन/98 दिनांक 31.3.98 के संदर्भ मे प्रेषित हैं।
2- प्रति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
3- प्रति. समस्त मुख्य वन संरक्षक, ---------
4- प्रति. समस्त वन संरक्षक ---------
5- प्रति. जिला कलेक्टर्स ---------
6- प्रति. समस्त उप वन संरक्षक ---------
7- रक्षित पत्रावली।

(आर०जी०सोनी)
मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर।

/ कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज0, जयपुर //

क्रमांक/एफ3§465§तक./मुवजीप्र/97/15060 दि0 10-11-98

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्र सं.प.11§12§वन/98 दिनांक 31.3.98 के क्रम मे उक्त पत्र सं.प.11§12§वन/98 दिनांक 31.8.98 से दी गयी अनुमति अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 9919 दिनांक 1.8.98 के क्रम मे वन्य जीव§सुरक्षा§अधिनियम 1972 की धारा-5§2§के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद्द्वारा उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/क्षेत्र निदेशक/उप निदेशक तथा उप वन संरक्षक,§वन्य जीव§को अपने-अपने क्षेत्राधिकार वाले जिलो मे वन्य जीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 10कि.मी.तक की परिधि मे जंगली सुअरो को वन्य जीव§सुरक्षा§अधिनियम 1972 की धारा 11§1§§बी§के अन्तर्गत मारने की अनुमति प्रदान करने के लिये प्राधिकृत करते हैं। परन्तु अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 5कि.मी.तक की दूरी पर जंगली सुअरो को मारने की अनुमति देने से पूर्व स्वंय पूरी स्थिति का आंकलन कर अपने वन संरक्षक के माध्यम से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से पूर्व अनुमति लेने के पश्चात् ही आदेश जारी कर सकेंगें।

उपरोक्त अनुमति केवल उन सुअरो को मारने के लिये दी जा सकती है जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुँचाता है। इस प्रकार की अनुमति पूर्ण रूप से जाँच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात् लिखित मे कारण निर्दिष्ट करते हुये ही दी जायेगी। इस प्रकार दी जाने वाली स्वीकृती की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं संबंधित वन संरक्षक,§वन्य जीव§को भी दी जावेगी।

§ आर. जी. सोनी §
मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/एफ3§465§तक/मुवजीप्र/97/15061-82 दि0 10-11-98
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- शासन उप सचिव, वन विभाग, राज0, जयपुर को उनके पत्र सं.प.11§12§वन/98 दिनांक 31.8.98 के सन्दर्भ मे प्रेषित है।
2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0, जयपुर।
3- समस्त वन संरक्षक,§वन्य जीव§
4- समस्त उप वन संरक्षक,§वन्य जीव§
5- रक्षित पत्रावली।

§ आर. जी. सोनी §
मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर।

35 13/75

/कार्यालय अति॰ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर//

क्रमांक/एफ3(465)तक॰/मुवजीप्र/97/ 12445 दिनांक: 30-9-04

-: कार्यालय-आदेश :-

राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्यों के प्रभारी उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/क्षेत्र निदेशक/उप निदेशक तथा उप वन संरक्षक(व॰जी॰) को जंगली सुअरों को मारने की अनुमति प्रदान करने के लिये राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करके वन्य जीव(सुरक्षा)अधिनियम 1972 की धारा 11(1)(बी) के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/15060 दिनांक 10.11.98 से प्राधिकृत किया गया था। जिसमें राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से 05 कि॰मी॰ तक की परिधि [illegible]हयन से अंकित हो गया है।

अतः इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/15060 दिनांक 10.11.98 में 05 कि॰मी॰ के स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से 15 कि॰मी॰ तक की परिधि में पढ़ा जाने का आंशिक संशोधन किया जाता है।

अति॰ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/एफ3(465)तक॰/मुवजीप्र/97/ 12446-470 दि0 30-9-04

प्रतिलिपि इस कार्यालय के पत्र संख्या 15061-82 दिनांक 10.11.98 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को राज्य सरकार के पत्र संख्या-प॰11(12)वन/98 दिनांक 31.8.98 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त वन संरक्षक, --
4. समस्त उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/उप वन संरक्षक(वन्य जीव)/उप निदेशक --।

[illegible] रक्षित पत्रावली।

अति॰ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर।